बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 2/नि0 1–101/2011 363

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

श्रीमती रूबी कुमारी, पिता– श्री मदन लाल केशरी, पता– क्वार्टर नं0– एफ10/1, एम0टी0वी0एस0 कांटी कॉलोनी, पो0–थर्मल कॉलोनी, जिला– मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन–843130

श्री सौरभ कुमार, पिता– श्री हजारी प्रसाद, पता– 8E/10. रोड नं0–2, बी0एच0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना– 800026

श्रीमती श्रुति कुमारी, पिता– श्री भरत सिंह, पता– C/o.सुमन कुमार, शकुन्तला सदन, आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकुनपुरा, पटना–800014

श्री मनोज कुमार, पिता– श्री लक्ष्मण सिंह, पता– ग्राम–तेन्दुआ, पो०–नोनसारी, भाया–नौखा, थाना–करघर, जिला–रोहतास, बिहार, पिन–802215

श्रीमती स्वाति कुमारी, पिता– श्री महेन्द्र सिंह, पता– ग्राम–गोन्पुरा, पो०–आलमपुर गोनपुरा, थाना– फुलवारी शरीफ, जिला–पटना, पिन–801505

श्री विकास कुमार तिग्गा, पिता– श्री मुकुल उरांव, पता– पी. डब्लू. आई. सहरसा, ईस्ट रेलवे कॉलोनी, सहरसा, क्वाटर नं.–ई/27सी

श्री आर्य कुमार, पिता– श्री महेश सिंह, पता– ग्राम–छोटी रूकनपुरा, पो०–बी. भी. कॉलेज, पटना, पटना–800014

मो०अली राजा, पिता– मो0 जाकिर हुसैन, पता– C/o मो० आरीफ हुसैन, मक्की मंजिल नीयर बाकरगंज मस्जिद, पो०–लहेरियासराय, दरभंगा, पिन–846001

श्री अवधेश कुमार, पिता– श्री राज कुमार महतो, पता– ग्राम–गोसाई गांव, पो०–धनकडोभ, थाना–घोसवारी, जिला–पटना, बिहार–803302

श्री सुजीत कुमार, पिता– श्री भोला सिंह, पता– ग्राम–विरई, पो०–अरई, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, बिहार, पिन–824113

श्री मुकेश कुमार, पिता– श्री जगदीश दास, पता– गोल्फ फील्ड, रेलवे कॉलोनी रोड नं. –16, क्वार्टर नं.–294/बी माधुरी चौक, पो०+जिला–समस्तीपुर, बिहार, पिन–848101

श्री विपिन कुमार, पिता– श्री केदारनाथ पासवान, पता– C/o निर्मल नन्दी, हाउस नं.–243, एल. न.–09 ओल्ड कासी, डीह साकची, जमशेदपुर (झारखण्ड) पिन–831001

श्री शशिधर कुमार, पिता– स्व0 उपेन्द्र प्रसाद सिंह, पता– ग्राम+पो०–खवासपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन–813209

मो0 जावेद शमीम, पिता– मो0 शमीम अख्तर अंसारी, पता– ग्राम–सिरानवादा, पो०–अमरथ, थाना+जिला–जमुई, बिहार, पिन–811307

श्री अरूण कुमार दास, पिता– श्री कौलेश्वर दास, पता– ग्राम–देवरिया, पो०–विकोपुर, थाना–कोठी, जिला–गया, पिन–824210

श्री रोहित कुमार शर्मा, पिता– श्री अरविन्द कुमार शर्मा, पता– पता– गोल्डेन लॉज, जय प्रकाश नगर, कोर्ट स्टेशन, पूर्णिया, पिन–854301

पटना, दिनांक– 27/12/16

विषय– संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन हेतु सरकार के साथ एकरारनामा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आदेश सं0–155 दि0–26.09.14 द्वारा आपको कनीय यांत्रिक अभियंता के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा पर द्वितीय पुनर्नियोजन किया गया था जिसकी संविदा अवधि जुलाई 2015 में समाप्त हो गयी। जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक–3674 दि0–14.06.11 द्वारा अनुशंसित तथा द्वितीय पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है को अगले एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए सरकार के साथ विहित प्रपत्र में दि0–30.12.16 तक नये सिरे से एकरारनामा किया जाना है।

अतः अपने कार्यकलाप एवं आरोप आदि की जानकारी के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक विहित प्रपत्र में सरकार के साथ एकरारनामा करना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित तिथि तक सरकार के साथ एकरारनामा सम्पादित नहीं करने पर पुनर्नियोजन हेतु आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। एकरारनामा के साथ पासपोर्ट साइज़ के दो अदद् फोटो एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी समर्पित करना होगा।

अनुलग्नक : एकरारनामा प्रारूप

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक– 363 दिनांक– 27/12/16

प्रतिलिपि– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाय।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना–800015

(संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा)

यह एकरारनामा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री .... के बीच निम्नलिखित शर्त्तों के साथ की जा रही है :–

1. यह पुनर्नियोजन कनीय अभियंता (यांत्रिक) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर इस कार्यालय के संकल्प संख्या–357, दिनांक–19.12.2016, के आलोक में केवल योगदान की तिथि से अधिकत्तम 12 माह या उसके पहले नियमित नियुक्ति होने तक के लिए किया जायेगा। इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेश वाध्यकारी होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री .... को 27,000/–रूपये प्रति माह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

नियोजित कनीय अभियंता
का हस्ताक्षर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।